राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांकः 09-03-2018

<u>आवंटन आदेश माह अप्रेल, 2018</u>
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8/2013–बी.पी.–III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह अप्रेल, 2018 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उप आवंटन एवं उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय एवं अन्य पात्र" परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 06.03.2018 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह अप्रेल, 2018 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार किया जाता है।

2. जिले को आवंटित कुल खाद्यान्न मात्रा में से आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य दुकानों को उप–आवंटन का अधिकार जिला रसद अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानदार को किये गये आवंटन की प्रविष्टियाँ दिनांक 15.03.2018 तक आवश्यक रूप से विभागीय फीस्ट पोर्टल पर करें।

3. **<u>जिला रसद अधिकारी द्वारा उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन चार श्रेणियों में पृथक्–पृथक् पूर्व में जारी प्रपत्रानुसार किया जावेगा।</u>**

4. संभागीय जिला मुख्यालय हेतु आवंटित मात्रा का सम्बंधित जिला रसद अधिकारी (शहर) एवं जिला रसद अधिकारी (ग्रामीण) समन्वय स्थापित कर जिला कलक्टर की अनुशंषा के आधार पर उठाव एवं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. जिलेवार खाद्यान्न का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

6. **<u>अप्रेल माह हेतु जिलों को खाद्यान्न आवंटन निर्धारित अन्त्योदय एवं अन्य पात्र परिवार हेतु पात्रता अनुसार किया जा रहा है।</u> जिलों द्वारा उठाव उचित मूल्य दुकानवार स्टॉक की भौतिक उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाकर शेष मात्रा समर्पित किए जाने का विकल्प होगा। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि उचित मूल्य दुकानवार अप्रेल माह हेतु वांछित आवंटन मात्रा अनुसार उठाव करें।**

7. अप्रेल माह के आवंटन के दौरान 100 क्विं0 से अधिक एवं 50 से 100 क्विं0 की श्रेणी वाली दुकानों (विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध) हेतु आवंटन सावधानी पूर्वक करें